UPJL050006392022

Presented on : 01-12-2022
Registered on : 01-12-2022
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Civil Judge (S.D) AT ,Jalaun
Presided Over by Sri Mahendra Kumar Rawat

Original Suit/395/2022

न्यायालय–सिविल जज (सी0डि0),जालौन स्थान उरई।
मूलवाद संख्या– /2022
श्रीमती हेमा बनाम किशन लाल सोनी आदि।
CNR No-UPJL050006392022
J.O.Code No.-UP1820

1–संस्थित दिनांकः 01.12.2022
2–वादिनी अधिवक्ता–श्री अनुराग सेंगर, एडवोकेट,
3–वाद का प्रकार–साश्वत व्यादेश,
4–वाद का मूल्यांकन–50,00,000/–रू0

दिनांकः 01.12.2022

मुंसरिम आख्या अवलोकित। आधार पर्याप्त हैं। अतः दर्ज रजिस्टर मूलवाद हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। इस बाबत पैरवी अविलम्ब की जाये। पत्रावली वास्ते प्रतिवादपत्र दिनांक 03.01.2023 तथा वाद बिन्दु हेतु दिनांक 10.01.2023 को पेश हो।

(**महेन्द्र कुमार रावत**)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

क्रमशः

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग–2 मय शपथ पत्र 7ग–2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिनी ने प्रार्थना पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना की है कि दौरान मुकदमा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को निषेधित किया जोय कि वह वादग्रस्त दुकाने अ,ब,स,द एवं ब,य,र,स स्थित मुहल्ला बल्दाउ चौक कस्बा उरई परगना उरई जिला जालौन जिसकी वादिनी कोपार्सानर एवं सहस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से अंतरित न करें और न ही वादगस्त दुकानार्थ की स्थिति में कोई परिवर्तन करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादिनी की ओर से सूची 11ग से कागज संख्या 12ग हाईस्कूल की अंकतालिक, कागज संख्या 13ग छाया प्रति आधार कार्ड, प्रस्तुत किये गये है।

वादिनी की ओर से प्रश्नगत दुकानों के स्वामी होने के संबंध में अपने तन्हा स्वामित्व का कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। वादिनी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई व बहन हैं। इसलिए मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत बिना प्रतिवादीगण को सुने वादी के पक्ष में एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण 6ग–2 दिनांक 10.01.2023 को पेश हो। वादीगण, प्रतिवादीगण पर तामीला हेतु पैरवी अविलम्ब करें।

(**महेन्द्र कुमार रावत**)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।

क्रमशः

9ग–2 न्यायालय अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR RAWAT
Date: 2022.12.03 10:59:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया। वादी द्वारा विवादित स्थल का नक्शा नजरी मय आख्या तलब करने की याचना की है।

अतः आधार पर्याप्त हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 9ग–2 वास्ते अमीन कमीशन, स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। बाद पैरवी न्यायालय अमीन को 9ग–2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। न्यायालय अमीन को आदेशित किया जाता है, कि उभयपक्ष को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय स्केली नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(**महेन्द्र कुमार रावत**)
सिविल जज (सी0डि0),
जालौन स्थान उरई।